



THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

31 VAISHAKH 1948 (S)

No. 253

RANCHI THURSDAY 21ST MAY, 2026

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

21ST MAY, 20 26

S.O. No. 61, Dated 21.05.2026 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 112 of the Jharkhand Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the 30th day of June, 2026, as the date upto which appeal may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of April, 2026 and all appeals in respect of order communicated on or after 1st April, 2026 may be filed before the Appellate Tribunal Within three months from the date on which such order is communicated to the person preferring the appeal.

[File. No. Va.Kar/kradhan (GST-08/2026)]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar,
Commissioner,
Commercial Taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
21 मई, 2026

एस. ओ. सं. 61, दिनांक- 21 मई, 2026 --सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 की 12) की धारा 112 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 30 जून, 2026 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिस तक, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष, उन मामलों के संबंध में जहां वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जाने की वांछा की गई है, 1 अप्रैल, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित कर दिया गया है, अपील फाइल की जा सकेगी, और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् संसूचित आदेश के संबंध में सभी अपीलों उस तारीख से, जिसको ऐसा आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जा सकेंगी।

[सं.सं.वांकर/कराधान (GST-08/2026)]
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार,
आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग।
